



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण एवं वन मंत्रा  
MINISTRY OF ENVIRONMENT &

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,  
Regional Office, Western Region,  
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"  
"Kendriya Paryavaran Bhavan"  
लिन्क रोड नं०-3, Link Road No. 3  
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,  
भोपाल (म०प्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)  
फोन 2466525]2463102] 2465496  
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPB056/2008-BHO/ 2054

दि०-11-8-2008,

प्रधान सचिव(वन),  
मध्यप्रदेश शासन,  
वन विभाग, वल्लभ भवन,  
भोपाल ।

विषय: देवास जिले के अन्तर्गत वनमण्डल देवास के वनखण्ड तालोद की 0.794 हे० वनभूमि देवास सीहोर फोरलेन हेतु संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-एमपीबी 056/2008-बीएचओ/1295 दिनांक 26/05/2008  
2. मु०व०सं०(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, म०प्र० का पत्रांक एफ-5/539/07/10-11/1753 दिनांक 28/07/2008

महोदय,

कृपया मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी म०प्र० का पत्रांक एफ-5/539/07/10-11/887 दिनांक 10/4/2008 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, म०प्र० शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से 0.794 हे० वनभूमि देवास सीहोर फोरलेन हेतु संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को वनेत्तर उपयोग के लिये दिये जाने का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 1.588 हे० अवकमित वनभूमि (सर्वे क्रमांक 847, ग्राम-रायपुर, जिला-देवास) क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

3. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को केम्पा(CAMPA) के कार्पोरेशन बैंक, ब्लाक-11, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, फेस-I लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003 में स्थित खाता संख्या CA-1580 में हस्तांतरित की जायेगी ।

4. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

भवदीय,

आवक लिपिक

(प्रदीप वासुदेव)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)


.....2

मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक 634  
20/8/08

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफओसी) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
- ✓ 2. मुख्य वन संरक्षक(सू-प्रबंध) एवं नोडल अवि०, म०प्र०शासन, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनगंडलाधिकारी, (क्षेत्रीय) देवास, जिला- देवास, मध्यप्रदेश ।
4. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम उज्जैन, मध्यप्रदेश ।  
आदेश पत्रावली

  
(प्रदीप वासुदेव)  
उप वन संरक्षक (क)